हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
पत्रावली आज तारीख पेशी को प्रार्थना पत्र पेश होकर पेशी में ली गयी। वकील वादी श्री [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश वाद विड्रॉ का पेश किया। जिस पर वकील वादी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गौण प्रतिवादी सं. 7 ता 12 की ओर से जरिये वकील क्रॉस सूट पेश किया हुआ है चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी खाता सं. 101 की खातेदारी से ज्ञात होता है कि उक्त गौण प्रतिवादीगण का पूर्व में ही बिभाजन होकर खाता अलग हो चुका है तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 7 ता 12 द्वारा चाही गई रिलिफ उनको पूर्व में ही मिल चुकी है। इस कारण गौण प्रतिवादी सं. 7 ता 12 का क्रॉस सूट को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] का है जिससे भी क्रॉस सूट को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः वादी का प्रार्थना पत्र विड्रॉ करने का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद व प्रतिवादीगण का क्रॉस सूट को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
उपखण्ड अधिकारी बीदासर	